

सितंबर 2024

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- **राजनीति और शासन**
 - चाइलड पोर्नोग्राफी को ब्राउज करना या संग्रहीत करना अपराध
 - बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा IT नयिम 2023 को रद्द
 - 23वाँ वधि आयोग गठित
 - आयुष्मान भारत का वसितार
 - वपिणन प्रथाओं के लिये समान संहिता जारी
 - नाबालगिों के लिये पेंशन योजना
 - आदवासी विकास योजना
- **अर्थव्यवस्था**
 - सेबी ने बोर्ड बैठक में वभिन्न नरिणयों को मंजूरी दी
 - पीएम ई-ड्राइव योजना
 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के कार्यान्वयन को मंजूरी
 - उर्वरकों पर पोषक तत्त्व आधारित सबसिडी दरों को मंजूरी
 - कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिये योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी
- **पर्यावरण**
 - मशिन मौसम को मंजूरी
 - बायो-राइड योजना

राजनीति और शासन

चाइलड पोर्नोग्राफी को ब्राउज करना या संग्रहीत करना अपराध

- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012** नमिनलखित शर्तों के तहत अश्लील सामग्री के भंडारण या कब्जे को अपराध मानता है:
 - साझा करने या प्रेषित करने के इरादे से ।
 - प्रदर्शित करने के लिये (जब तक कि रिपोर्टिंग के उद्देश्य से न हो) ।
 - वाणज्यिक प्रयोजनों के लिये ।
- **सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारजि कर दिया** जिसमें कहा गया था कि केवल कब्जा करना अपराध नहीं है, क्योंकि इसमें साझा करने का कोई इरादा नहीं होता है ।
 - इसमें कहा गया है कि साझा करने से पहले **कब्जा करना पहला कदम** है । इसे मटाने या रिपोर्ट न करने से इरादे का संकेत मलिता है ।
 - न्यायालय ने **संसद** और केंद्र सरकार को कुछ सुझाव भी दिये । इनमें शामिल हैं:
 - पोक्सो अधिनियम, 2012 में '**चाइलड पोर्नोग्राफी**' शब्द के स्थान पर '**बाल यौन शोषण एवं दुरव्यवहार सामग्री**' शब्द प्रतस्थिपति कथिया गया ।
 - **स्वास्थ्य और यौन शक्ति** के लिये एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने हेतु एक समिति का गठन करना ।
 - पोक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत शकियात दर्ज करने के लिये एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना ।

बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा IT नयिम 2023 को रद्द

- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशा-नरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहिता) नयिम, 2021** में 2023 के संशोधन को रद्द कर दिया ।

- न्यायालय ने माना कि संशोधन नयम संविधान के [अनुच्छेद 19](#) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की [स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं](#) ।
- इस अधिकार पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध उचित होना चाहिए तथा संविधान के तहत प्रदत्त प्रतिबंधों के अनुरूप होना चाहिए ।
- न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि [फैक्ट चेक यूनिट \(Fact Check Unit- FCU\)](#) की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाएगी, इसलिये केंद्र सरकार यह तय करने में अंतिम रूप से सक्षम होगी कि क्या झूठा या भ्रामक है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है ।
- इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने पाया कि 'झूठी या भ्रामक' शब्द [अस्पष्ट और अतव्यापक](#) है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की पहचान करने के लिये कोई दिशा-निर्देश नहीं है ।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि यह संशोधन [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000](#) के दायरे से बाहर है और इसलिये यह इस अधिनियम के नयमों का हिस्सा नहीं हो सकता ।

23वाँ वधि आयोग गठित

- वधि एवं न्याय मंत्रालय ने [भारत के 23वें वधि आयोग का गठन किया](#) ।
- 23वें वधि आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक रहेगा ।
 - हालाँकि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है ।

आयुष्मान भारत का वसितार

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने [आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना \(Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana- AB PMJAY\)](#) का वसितार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों तक करने को मंजूरी दे दी है ।
- इस योजना के अंतर्गत पहले से ही कवर किये गये वरिष्ठ नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य बीमा के रूप में अतिरिक्त पाँच लाख रुपए मिलेंगे ।
- योजना के वसितार से 4.5 करोड़ परिवारों (छह करोड़ वरिष्ठ नागरिक) को [बीमा कवरेज मिलेगा](#) ।
 - इसमें वे वरिष्ठ नागरिक भी शामिल होंगे जो पहले से ही अन्य सार्वजनिक एवं नजीबी बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं ।

वपिणन प्रथाओं के लिये समान संहिता जारी

- [फार्मास्यूटिकल्स वभिभाग](#) ने चिकित्सा उपकरणों में वपिणन प्रथाओं के लिये [समान संहिता, 2024](#) जारी की ।
- यह संहिता देश में चिकित्सा उपकरणों की ब्रांडिंग और प्रचार को नियंत्रित करती है ।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **दावे:** चिकित्सा उपकरण कंपनियों द्वारा [चिकित्सा उपकरण की उपयोगिता के संबंध में किये गए दावे](#) नवीनतम साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए ।
- **प्रचार:** किसी भी प्रचार सामग्री में नमिनलखित विवरण शामिल होने चाहिए:
 - चिकित्सा उपकरण का [जेनेरिक/ब्रांड नाम](#) ।
 - निर्माता/आयातकर्ता का नाम/पता तथा वपिणक का व्यवसायिक नाम/पता ।
- **आचार समिति:** सभी [भारतीय चिकित्सा उपकरण संघों](#) में चिकित्सा उपकरणों में वपिणन प्रथाओं के लिये एक आचार समिति की स्थापना की जानी चाहिए ।
 - यह संहिता के अनुपालन से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगी । समिति को शिकायत प्राप्त होने के [90 दिनों के भीतर आदेश पारित करना चाहिए](#) ।
 - समिति के निर्णय के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर औषध विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली [शीर्ष समिति के समक्ष अपील की जा सकती है](#) ।

नाबालगों के लिये पेंशन योजना

- वित्त मंत्रालय ने नाबालगों के लिये [राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली \(National Pension System- NPS\)](#) वात्सल्य योजना की घोषणा की ।

प्रमुख विशेषताएँ:

- इसका वनियमन एवं प्रशासन [भारतीय पेंशन नधि वनियमक प्राधिकरण \(Pension Fund Regulatory Authority of India- PFRDA\)](#) द्वारा किया जाएगा ।
- 18 वर्ष तक की आयु के सभी नाबालगि नागरिक खाता खोल सकते हैं ।
- खाता खोलने के लिये न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान आवश्यक होगा ।
- इसके बाद खाते में न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति वर्ष का अंशदान जमा किया जा सकेगा ।
- यह [खाता नाबालगि के नाम](#) पर खोला जाएगा तथा वयस्क होने तक उसका प्रबंधन उसके अभिभावक द्वारा किया जाएगा ।
- 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर NPS वात्सल्य खाता [NPS के अंतर्गत नयिमति खाते में परिवर्तित हो जाएगा](#) ।

आदवासी विकास योजना

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान** को मंजूरी दे दी।
 - इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अंतराल को दूर करके आदवासी समुदायों का उत्थान करना है।
- इसमें 25 हस्तक्षेप शामिल हैं जिन्हें संबंधित क्षेत्रों को नयित्तरि करने वाले मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयित किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम लगभग 63,000 गाँवों को कवर करेगा और इसका लक्ष्य लगभग पाँच करोड़ आदवासी लोगों को लाभान्वित करना है।
- लक्ष्य हैं:
 - सकृषम बुनियादी ढाँचे का निर्माण।
 - कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
 - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कफायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार।
- कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ पहलों में 1000 जनजातीय गृह प्रवास, 22 लाख वन अधिकार धारकों के लिये स्थायी आजीविका, जनजातीय और सरकारी आवासीय वदियालयों में बुनियादी ढाँचे में सुधार, सकिलसेल रोग का कफायती प्रबंधन तथा जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये 100 बहुउद्देशीय विपिनन केंद्र शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था

सेबी ने बोर्ड बैठक में विभिन्न नरिणयों को मंजूरी दी

- भारतीय प्रतभित्ति एवं वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI)** ने अपनी बैठक में विभिन्न नरिणयों को मंजूरी दी।
 - सेम-डे सेटलमेंट:** सेबी ने प्रतभित्तियों के लिये वैकल्पिक उसी दिने निपटान चक्र का दायरा बढ़ा दिया है। सेम-डे सेटलमेंट मौजूदा अगले दिने (T+1) निपटान चक्र के साथ-साथ मौजूद रहेगा।
 - नए म्यूचुअल फंड उत्पाद को मंजूरी:** इसका उद्देश्य पोर्टफोलियो निर्माण में अधिक लचीलापन प्रदान करके म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के बीच की खाई को पाटना है।
 - इसमें कसिी एक परसिपत्त प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्पादों में प्रतनिविशक न्यूनतम निविश सीमा 10 लाख रुपए होगी।
 - नषिकरयि म्यूचुअल फंड के लिये नयिामक ढाँचा:** सेबी ने नषिकरयि रूप से प्रबंधति म्यूचुअल फंड के लिये एक नए नयिामक ढाँचे को भी मंजूरी दी।
 - सतत वतित के लिये नधि:** सेबी ने उन साधनों के दायरे का वसितार करने का नरिणय लिया है जिनका उपयोग कॉर्पोरेट द्वारा सतत वतित के लिये नधिजुटाने के लिये किया जा सकता है।
 - यह सामाजिक बॉण्ड, स्थरिता बॉण्ड और स्थरिता-जुडे बॉण्ड जारी करने के लिये रूपरेखा नरिदषिट करेगा।

पीएम ई-ड्राइव योजना

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिये **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रविलयूशन इन इनोवेटिवि व्हीकल एनहांसमेंट** योजना ('PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement' scheme- PM E-DRIVE) को मंजूरी दी।

प्रमुख वशिषताएँ:

- ई-वाउचर:** उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय ई-वाउचर प्रदान किए जाएंगे।
 - इन वाउचर का उपयोग डीलरशिप से वाहन की खरीद मूल्य पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिये किया जा सकता है।
- इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस, ट्रक और बसों के लिये आवंटन:** इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और ट्रकों की तैनाती के लिये योजना के तहत धन आवंटित किया गया है।
 - उन राज्यों को प्राथमकिता दी जाएगी जो अधिकृत स्करैपिंग केंद्रों पर मौजूदा बसों को स्करैप करने के बाद इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे।
- सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना:** उच्च EV उपयोग वाले शहरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन:** भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण एजेंसियों का इस योजना के तहत आधुनिकीकरण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के कार्यान्वयन को मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 और 2028-29 के बीच **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana IV- PMGSY IV)** के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।
- इस चरण के अंतर्गत 62,500 किलोमीटर बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिये वतित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ेगी।
- इसमें नमिनलखिति से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियाँ शामिल होंगी:
 - मैदानी क्षेत्रों में 500

- पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में 250
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 100
- PMGSY-IV को पाँच वर्षों के लिये कुल 70,125 करोड़ रुपए का परवियय प्राप्त होगा, जसि केंद्र और राज्य 70:30 के अनुपात में वहन करेंगे।

उर्वरकों पर पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **रबी सीजन 2024** (अक्टूबर 2024 से मार्च 2025) के लिये **फॉस्फेटिक और पोटैशिक** उर्वरकों के लिये पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी।
- सब्सिडी के लिये बजटीय आवश्यकता लगभग 24,476 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिये योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan-PM-AASHA)** के तहत योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी।

इन योजनाओं में शामिल हैं:

- **मूल्य समर्थन योजना**
- **मूल्य स्थिरीकरण कोष**
- **मूल्य न्यूनता भुगतान योजना**
- **बाजार हस्तक्षेप योजना**
- इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को **लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना** तथा उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करना है।
- **अधिसूचिति दलहनों, तलहनों और खोपरा** के लिये मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत, केंद्र ने वर्ष 2024-25 से **न्यूनतम समर्थन मूल्य** पर **राष्ट्रीय उत्पादन का 25% खरीदने का नरिण्य लिया है।**
- राज्यों को अधिसूचिति तलहनों के लिये मूल्य घाटा भुगतान योजना को लागू करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये केंद्र ने राज्य तलहिन उत्पादन के 25% से 40% तक योजना का **कवरेज बढ़ाकर समर्थन बढ़ा दिया है।**
- बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत प्याज और टमाटर जैसी शीघ्र खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिये समर्थन राशा **उत्पादन के 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।**

पर्यावरण

मशिन मौसम को मंजूरी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मौसम और जलवायु संबंधी अनुसंधान और सेवाओं में सुधार के लिये **मशिन मौसम** को मंजूरी दी।
 - इसका उद्देश्य मौसम नगिरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में **अनुसंधान और विकास** को समर्थन देना है।
 - **इससे चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी।**
 - यह कार्यक्रम मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान में **प्रौद्योगिकियों के उपयोग को सुगम बनाएगा।** इनमें नमिनलखिति का उपयोग शामिल होगा:
 - **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** और **मशीन लर्नगि।**
 - अगली पीढ़ी के **रडार** और **उपग्रह प्रणालियाँ।**
 - उच्च प्रदर्शन वाले **सुपर कंप्यूटर।**
- **पृथ्वी वजिज्ञान मंत्रालय** के अंतर्गत तीन संस्थान इस मशिन के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार होंगे। ये हैं:
 - **भारतीय मौसम विभाग**
 - भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम वजिज्ञान संस्थान
 - राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र

बायो-राइड योजना

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग की दो प्रमुख योजनाओं को एक योजना के रूप में वलिय कर जारी रखने को मंजूरी दे दी है, जनिका नाम **'जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास' (Biotechnology Research Innovation and Entrepreneurship Development'- Bio-RIDE)** है।
- इस योजना का उद्देश्य नमिनलखिति के माध्यम से **जैव-उद्यमिता** और उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देना है:
 - अनुदान और प्रोत्साहन
 - शक्तिषा-उद्योग सहयोग
 - अतिरिक्त-दीवार वतितपोषण

